प्रारुप–5

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डरांखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य । (लम्बाई–6.825 कि0मी0)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

(संलग्न है)

ह0/
अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
अ0ख0,लो0नि0वि0 घनसाली
मुख्यालय–घुमेटीधार

Scanned with CamScanner

संख्या–2171 / III(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यो हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढवाल द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 17.50 किमी0 तथा लागत ₹ 63.55 लाख है, पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 63.55 लाख (रू0 तिरेसठ लाख पचपन हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित कर लिया जाय, जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का [illegible] कदापि न किया जाय।

(vi)– [illegible] उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में [illegible] समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट [illegible] का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– [illegible] उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / XIV–219(2006) दिनांक [illegible] कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से [illegible]

(viii)– [illegible] आगणन में एल0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि [illegible] अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय [illegible] अन्य व्यय–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि [illegible] में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी [illegible]

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य का गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत भद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 316/XXVII/(2)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव

संख्या– ___/III(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

17. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
18. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
19. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
20. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
22. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
23. अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
24. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव)

Scanned with CamScanner

संख्या–2171 / III(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 19 जुलाई, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में सांकरी थाती से वीना मलेथा, चन्दला, सिन्दवालगांव, बगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	34.21	0.10
2	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य।	9.50	29.34	0.10
	कुल	17.50	63.55	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

Scanned with CamScanner